बटालवी और चकड़ालवी के मुबाहसा पर रीव्यू

लेखक
हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी
मसीह मौऊद व महदी माहूद अलैहिस्सलाम

बटालवी और चकड़ालवी के मुबाहसः पर रीव्यू

लेखक
हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी
मसीह मौऊद व महदी माहूद अलैहिस्सलाम

नाम पुस्तक	: बटालवी और चकड़ालवी के मुबाहसः पर रीव्यू
Name of book	: Batalwi our Chakdalwi ke Mubahasa par Review
लेखक	: हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम
Writer	: Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani Masih Mau'ud Alaihissalam
अनुवादक	: डा अन्सार अहमद पी.एच.डी आनर्स इन अरबिक
Translator	: Dr Ansar Ahmad, Ph.D, Hons in Arabic
टाईपिंग, सैटिंग	: सलमा अदील
Typing Setting	: Salma Adeel
संस्करण तथा वर्ष	: प्रथम संस्करण (हिन्दी) जुलाई 2018 ई०
Edition. Year	: 1st Edition (Hindi) July 2018
संख्या, Quantity	: 1000
प्रकाशक	: नज़ारत नश्र-व-इशाअत, क़ादियान, 143516 ज़िला-गुरदासपुर (पंजाब)
Publisher	: Nazarat Nashr-o-Isha'at, Qadian, 143516 Distt. Gurdaspur, (Punjab)
मुद्रक	: फ़ज़्ले उमर प्रिंटिंग प्रेस, क़ादियान, 143516 ज़िला-गुरदासपुर, (पंजाब)
Printed at	: Fazl-e-Umar Printing Press, Qadian, 143516 Distt. Gurdaspur (Punjab)

प्रकाशक की ओर से

हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी मसीह मौऊद व महदी मा'हूद अलैहिस्सलाम द्वारा लिखित पुस्तक का यह हिन्दी अनुवाद श्री डॉ० अन्सार अहमद ने किया है और तत्पश्चात मुकर्रम शेख़ मुजाहिद अहमद शास्त्री (सदर रिव्यू कमेटी), मुकर्रम फ़रहत अहमद आचार्य (इंचार्ज हिन्दी डेस्क), मुकर्रम अली हसन एम. ए. और मुकर्रम नसीरुल हक़ आचार्य ने इसकी प्रूफ़ रीडिंग और रीवियु आदि किया है। अल्लाह तआला इन सब को उत्तम प्रतिफल प्रदान करे।

इस पुस्तक को हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ (जमाअत अहमदिया के वर्तमान ख़लीफ़ा) की अनुमति से हिन्दी प्रथम संस्करण के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

विनीत

हाफ़िज़ मख़दूम शरीफ़

नाज़िर नश्र व इशाअत क़ादियान

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

नहमदुहू व नुस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम

मौलवी अबूसईद मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी और मौलवी अबदुल्लाह साहिब चकड़ालवी के मुबाहसे पर मसीह मौऊद हकम-ए-रब्बानी का रीव्यू और अपनी जमाअत के लिए एक नसीहत

दोनों पक्षों के निबंधों से मालूम हुआ कि कथित शीर्षक पर मुबाहस: होने का कारण यह था कि मौलवी अब्दुल्ला साहिब नबवी हदीसों को केवल रद्दी के समान समझते हैं और मुंह पर ऐसे शब्द लाते हैं जिनका वर्णन करना भी धृष्टता है और मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब ने उनके मुकाबले पर यह तर्क प्रस्तुत किया था कि यदि हदीसें ऐसी ही रद्दी निरर्थक अविश्वसनीय हैं तो इस से इबादतों तथा फिक़: के मसअलों के अधिकांश भाग झूठे हो जाएंगे। क्योंकि क़ुर्आन के आदेशों के विवरणों का पता हदीसों के द्वारा ही मिलता हैं। अन्यथा यदि केवल क़ुर्आन को ही पर्याप्त समझा जाए तो फिर मात्र क़ुर्आन की दृष्टि से इस पर क्या तर्क हैं कि सुबह के फ़र्ज की दो रकअत और मग़रिब की तीन तथा शेष तीन नमाज़ें चार-चार रकअत हैं। यह आरोप एक शक्तिशाली शैली में है यद्यपि अपने अंदर एक ग़लती रखता है। यही कारण था कि इस आरोप का मौलवी अबदुल्ला साहिब

ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया केवल व्यर्थ बातें हैं जो लिखने के योग्य भी नहीं। हां इस आरोप का परिणाम अन्ततः यह हुआ कि मौलवी अब्दुल्लाह साहिव को एक नई नमाज़ बनानी पड़ी जिस का इस्लाम के समस्त फ़िर्क़ों में नामोनिशान नहीं पाया जाता। उन्होंने अत्तहिय्यात और दरूद तथा अन्य मासूरः दुआएं जो नमाज़ में पढ़ी जाती हैं मध्य से उड़ा दीं और उनके स्थान पर केवल क़ुर्आन की आयतें रख दीं। ऐसा ही नमाज़ में बहुत कुछ परिवर्तन किया जिसको वर्णन करने की यहां आवश्यकता नहीं और शायद हज और ज़क़ात इत्यादि मसअलों में भी परिवर्तन किया होगा, परन्तु क्या यह सच है कि हदीसें एसी ही रद्दी और व्यर्थ हैं जैसा कि मौलवी अब्दुल्लाह साहिब ने समझा है। ख़ुदा की पनाह, हरगिज़ नहीं।

असल बात यह है कि इन दो सदस्यों में से एक सदस्य ने अधिक्ता का मार्ग ग्रहण कर रखा है और दूसरे ने कमी का। प्रथम सदस्य अर्थात् मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब यद्यपि इस बात में सच पर हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सम्पूर्ण मुत्तसिल हदीसें ऐसी चीज़ नहीं हैं कि उनको रद्दी और व्यर्थ समझा जाए। परन्तु वह हैसियत का ध्यान रखने के नियम को भुला कर हदीसों की श्रेणी को उस बुलन्दी कर चढ़ाते हैं जिससे पवित्र क़ुर्आन का अपमान अनिवार्य आता है और इस से इन्कार करना पड़ता है तथा अल्लाह की किताब के विरोध और विवाद की वह कुछ परवाह नहीं करते तथा हदीस के किस्से को उन क़िस्सों पर प्राथमिकता देते हैं जो अल्लाह की किताब में विस्तृत तौर पर मौजूद हैं और हदीस के वर्णन को ख़ुदा के कलाम के वर्णन पर प्रत्येक स्थिति में प्राथमिक

समझते हैं। और यह ग़लती स्पष्ट और इन्साफ के मार्ग से बाहर जाना हैं। अल्लाह तआला पवित्र क़ुर्आन में फरमाता है।

(अलजासिया: 7) فَبِاَيِّ حَدِيۡثٍۢ بَعۡدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤۡمِنُوۡنَ ۝

अर्थात् खुदा और उसकी आयतों के बाद किस हदीस पर ईमान लाएंगे। यहां हदीस के शब्द का जो समान्य का लाभ देती है स्पष्ट तौर पर बता रही है कि जो हदीस क़ुर्आन की विरोधी और विवाद करने वाली पड़े तथा अनुकूलता का कोई मार्ग पैदा न हो उसे रद्द कर दो, और इस हदीस में एक भविष्यवाणी भी है जो बतौर इशारतुन्नस्स इस आयत से स्पष्ट है और वह यह कि ख़ुदा तआला कथित आयत में इस बात की ओर संकेत फ़रमाता है कि इस उम्मत पर एक ऐसा युग भी आने वाला है कि जब इस उम्मत के कुछ लोग पवित्र क़ुर्आन को छोड़कर ऐसी हदीसों पर भी अमल करेंगें जिन के वर्णन किए हुए बयान पवित्र क़ुर्आन के बयानों से विपरीत और विरोधी होंगे। अतः यह अहले हदीस का फ़िर्क़ा इस बात में अधिकता के मार्ग पर क़दम मार रहा है कि क़ुर्आन की गवाही पर हदीस के बयान को प्राथमिक समझते हैं। यदि वे इंसाफ और ख़ुदा के भय से काम लेते तो ऐसी हदीसों की अनुकूलता पवित्र क़ुर्आन से कर सकते थे, परन्तु वे इस बात पर सहमत हो गए कि ख़ुदा के अटल एवं निश्चित कलाम को छोड़ा तथा पृथक किया हुआ ठहराएं और इस बात पर सहमत न हुए कि ऐसी हदीसों को जिनके बयान खुदा की किताब के विरोधी हैं या तो छोड़ दें और या उनकी ख़ुदा की किताब से अनुकूलता करें। तो यह वह अधिकता का मार्ग है जो मौलवी मुहम्मद हुसैन ने ग्रहण कर रखा है।

और इनके विरोधी मौलवी अब्दुल्लाह साहिब ने न्यूनता(कमी) के मार्ग पर क़दम मारा है जो सिरे से हदीसों से इन्कार कर दिया है हदीसों का इन्कार एक प्रकार से पवित्र क़ुर्आन का ही इन्कार है क्योंकि अल्लाह तआला पवित्र क़ुर्आन में फ़रमाता है-

قُلۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ تُحِبُّوۡنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُوۡنِیۡ یُحۡبِبۡکُمُ اللّٰہُ (आले इमरान:32)

तो जबकि ख़ुदा तआला का प्रेम आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुकरण से सम्बद्ध है और आं जनाब के व्यावहारिक नमूनों के मालूम करने के लिए जिन पर अनुकरण निर्भर है हदीस भी एक माध्यम है। अत: जो व्यक्ति हदीस को छोड़ता है वह अनुकरण के मार्ग को भी छोड़ता है और मौलवी अबदुल्लाह साहिब का यह कथन कि समस्त हदीसें केवल सन्देहों एवं कल्पनाओं का भंडार हैं। यह सोच विचार की कमी के कारण पैदा हुआ है और इस सोच की असल जड़ मुहद्देसीन का एक ग़लत और अधूरा विभाजन है जिस ने बहुत से लोगों को धोखा दिया है। क्योंकि वे यों तो विभाजन करते हैं कि हमारे हाथ में एक तो ख़ुदा की किताब है और दूसरे हदीस। और हदीस ख़ुदा की किताब पर क़ाज़ी (जज)है जैसे हदीसें एक क़ाज़ी या जज की कुर्सी पर बैठी हैं और क़ुर्आन उनके सामने एक फ़रियादी की तरह खड़ा है और हदीस के आदेश के अधीन है। ऐसे वर्णन से निस्संदेह प्रत्येक को धोखा लगेगा जबकि हदीसें आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सौ-डेढ़ सौ वर्ष के बाद जमा की गई हैं और वे मानवीय हाथों के स्पर्श से ख़ाली नहीं हैं। इसके बावजूद वह रावी का संग्रह और काल्पनिक हैं तथा उनमें निरन्तरता वाली हदीसें बहुत ही कम हैं जो न होने का आदेश रखती हैं और फिर वही पवित्र क़ुर्आन

पर क़ाज़ी भी हैं तो इससे अनिवार्य आता है कि सम्पूर्ण इस्लाम धर्म कल्पनाओं का एक ढेर हैं और स्पष्ट है कि कल्पना कोई चीज़ नहीं है। और जो व्यक्ति केवल कल्पना को पंजा मारता है वह सच के बुलन्द स्थान से नीचे गिरा हुआ है। अल्लाह तआला फ़रमाता है

اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىۡ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (यूनुस:37)

केवल कल्पना अटल विश्वास के सामने कुछ चीज़ नहीं। अत: पवित्र-क़ुर्आन तो यों हाथ से गया कि वह क़ाज़ी साहिब के फ़त्वों के बिना अमल करना आवश्यक नहीं तथा छोड़ा और अलग किया हुआ है तथा क़ाज़ी साहिब अर्थात हदीसें केवल कल्पना के मैलै कुचैले कपड़े पहने रखती हैं जिन से झूठ की संभावना किसी प्रकार अलग नहीं। क्योंकि कल्पना की परिभाषा यही है कि वह झूठ की संभावना से ख़ाली नहीं होती। तो इस स्थिति में न तो क़ुर्आन हमारे हाथ में रहा और न हदीसें इस योग्य कि उस पर भरोसा हो सके तो जैसे दोनों हाथ से गए। यह ग़लती है जिसने अधिकतर लोगों को तबाह किया।★

★**नोट -** मैं जब विज्ञापन को समाप्त कर चुका, शायद दो तीन पंक्तियां शेष थीं तो स्वप्न ने मुझ पर ज़ोर डाला यहां तक कि मैं विवश होकर काग़ज़ को हाथ से छोड़कर सो गया तो स्वप्न में मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी और मौलवी अब्दुल्लाह साहिब चकड़ालवी नज़र के सामने आ गए। मैंने उन दोनों को संम्बोधित करके यह कहा -

خَسَفَ الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ فِىْ رَمَضَانِ۔ فَبِاَىِّ اٰلاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

अर्थात् चन्द्रमा एवं सूर्य को तो रमज़ान में ग्रहण लग चुका तो तुम हे दोनों सज्जनों। क्यों ख़ुदा की नेमत को झुठला रहे हो। फिर मै स्वप्न में बिरादरम मौलवी अब्दुल करीम साहिब को कहता हूं कि اٰلاۤءِ से अभिप्राय यहां मैं हूं और फिर मैने एक दालान की ओर नज़र उठा कर देखा कि उसमें चिराग प्रकाशित

और सिरातल मुस्तक़ीम (सीधा मार्ग)जिसको प्रकट करने के लिए मैंने इस निबंध को लिखा है यह है कि मुसलमानों के हाथ में इस्लामी हिदायतों पर स्थापित होने के लिए तीन चीजें हैं। -

(1) पवित्र-क़ुर्आन जो ख़ुदा की किताब है जिस से बढ़कर हाथ में कोई कलाम ठोस एवं निश्चित नहीं। वह ख़ुदा का कलाम है वह संदेह एवं कल्पना की गन्दगियों से पवित्र है।

(2) सुन्नत - यहां हम अहले हदीस की परिभाषाओं से अलग होकर बात करते हैं। अर्थात् हम हदीस और सुन्नत को एक चीज़ नहीं ठहराते जैसा कि परंपरागत मुहद्देसीन का तरीका है बल्कि हदीस अलग चीज़ है और सुन्नत अलग चीज़। सुन्नत से हमारा अभिप्राय केवल आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का व्यावहारिक आचरण है जो अपने अन्दर निरंतरता रखता है और प्रारंभ से पवित्र क़ुर्आन के साथ ही प्रकट हुआ और हमेशा साथ ही रहेगा या दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि पवित्र क़ुर्आन ख़ुदा तआला का कथन है और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लहु अलैहि वसल्लम का कर्म है और सदैव से खुदा का नियम (आदत)यही है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम ख़ुदा का कथन लोगों के मार्ग दर्शन के लिए लाते हैं तो अपने क्रियात्मक कार्य से अर्थात क्रियातमक तौर पर उस कथन की व्याख्या कर देते हैं ताकि लोगों पर उस कथन का समझना संदिग्ध न रहे और उस

शेष नोट - है मानों रात का समय है और उसी उपरोक्त इल्हाम को कुछ लोग चिराग़ के सामने पवित्र क़ुर्आन खोलकर उस से ये दोनों वाक्य नक़ल कर रहे हैं। जैसे उसी क्रम से पवित्र कुर्रान में वह मौजूद है,और उनमें से एक व्यक्ति को मैंने पहचान लिया कि मियां नबी बख़्श साहिब रफ़ूगर अमृतसरी हैं। (इसी से)

कथन पर स्वयं भी अमल करते हैं और दूसरों से भी अमल कराते हैं।

(3) हिदायत - का तीसरा माध्यम हदीस है। हदीस से हमारा अभिप्राय वे आसार (निशानियां) हैं जो किस्सों के रंग में आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगभग डेढ सौ वर्ष के पश्चात् विभिन्न रावियों के माध्यमों से एकत्र किए गए हैं तो सुन्नत और हदीस में परस्पर अंतर यह है कि सुन्नत एक क्रियात्मक तरीका है जो अपने साथ निरन्तरता रखता है जिसे आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से जारी किया और वह निश्चित श्रेणियों में पवित्र क़ुर्आन से दूसरे नम्बर पर है। और जिस प्रकार आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पवित्र क़ुर्आन के प्रसार के लिए मामूर थे। इसी प्रकार सुन्नत को स्थापित करने के लिए भी मामूर थे। तो जैसा कि पवित्र क़ुर्आन असंदिग्ध है ऐसा ही नित्य एवं निरंतरता पूर्ण सुन्नत भी निश्चित है। ये दोनों सेवाएं आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने हाथ से सम्पन्न कीं तथा दोनों को अपना कर्तव्य समझा। उदाहरणतया जब नमाज़ के लिए आदेश हुआ तो आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुदा तआला के इस कथन को अपने कर्म से खोल कर दिखा दिया और क्रियात्मक रंग में प्रकट कर दिया कि फ़ज्र की नमाज़ की ये रकअतें हैं और मग़रिब की ये तथा शेष नमाज़ों के लिए ये ये रकअतें हैं। इसी प्रकार हज करके दिखाया और फिर अपने हाथ से हजा़रों सहाबा को इस कार्य का पाबन्द करके अमल करने का सिलसिला बड़े जोर से स्थापित कर दिया। अतः व्यावहारिक नमूना जो अब तक उम्मत में अमल करने के तौर पर साक्षीकृत तथा महसूस है। इसी का नाम सुन्नत है। परन्तु हदीस को

आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने नहीं लिखवाया और न उसके एकत्र करने के लिए कोई प्रबंध किया। कुछ हदीसें हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहो अन्हो ने एकत्र की थीं परन्तु फिर संयम की दृष्टि से उन्होनें वे सब हदीसें जला दीं कि यह मेरा सुनना सीधे तौर पर नहीं है। ख़ुदा जाने असल वास्तविकता क्या है। फिर जब वह सहाबा रज़ियल्लाहो अन्हुम का दौर गुज़र गया तो कुछ सहाबा के बाद आने वाले तबअ ताबिईन की तबीयत को ख़ुदा ने इस ओर फेर दिया कि हदीसों को एकत्र कर लेना चाहिए। तब हदीसें एकत्र हुईं। इसमें सन्देह नहीं कि अधिकतर हदीसों को एकत्र करने वाले बड़े संयमी और पहरेज़गार थे। उन्होंने यथा सामर्थ्य हदीसों की समीक्षा की और ऐसी हदीसों से बचना चाहा जो उनकी राय में बनावटी थीं तथा प्रत्येक संदिग्ध परिस्थिति वाले रावी की हदीस नहीं ली। बहुत मेहनत की किन्तु फिर भी वह समस्त कार्रवाई समय के बाद थी। इसलिए वह सब कल्पना की श्रेणी पर रही। इसके बावजूद यह बड़ा अन्याय होगा कि यह कहा जाए कि वे समस्त हदीसें व्यर्थ,बेकार,बे फ़ायदा और झूठी हैं,बल्कि उन हदीसों के लिखने में इतनी सावधानी से काम लिया गया है तथा इतनी छान-बीन और समीक्षा की गई है कि उसका उदाहरण अन्य धर्मों में नहीं पाया जाता। यहूदियों में भी हदीसें हैं और हज़रत मसीह के मुकाबले पर भी यहूदियों का वही फ़िर्क़ा था जो हदीस का आमिल (हदीस पर अमल करने वाला) कहलाता था,परन्तु सिद्ध नही किया गया कि यहूदियों के मुहद्दिसों ने ऐसी सावधानी से वे हदीसें एकत्र की थीं जैसा कि इस्लाम के मुहद्दिसों ने। तथापि यह ग़लती है कि ऐसा विचार किया जाए कि जब तक हदीसें एकत्र नहीं

हुई थीं उस समय तक लोग नमाज़ों की रकअतों से अपरिचित थे या हज करने के तरीक़े से अज्ञान थे। क्योंकि अमल करने के सिलसिले ने जो सुन्नत के माध्यम से उन में पैदा हो गया था समस्त दण्ड और इस्लाम के अनिवार्य कार्य उनको सिखा दिए थे। इसलिए यह बात बिल्कुल सही है कि यदि संसार में उन हदीसों का अस्तित्व भी न होता जो लम्बी अवधि के पश्चात् जमा की गईं तो इस्लाम की मूल शिक्षा की कुछ भी हानि नहीं थी। क्योंकि क़ुर्आन और अमल करने के सिलसिले ने उन आवश्यकताओं को पूरा कर दिया था, तथापि हदीसों ने उस प्रकाश को अधिक किया। मानो इस्लाम प्रकाश के ऊपर प्रकाश हो गया और हदीसें क़ुर्आन तथा सुन्नत के लिए गवाह के समान खड़ी हो गईं और इस्लाम के बहुत से फ़िर्क़े जो बाद में पैदा हो गए उन में से सच्चे फ़िर्क़े को सही हदीसों से बहुत लाभ पहुंचा। तो इस्लाम धर्म यही है कि न तो इस युग के अहले हदीस की तरह हदीसों के बारे में यह आस्था रखी जाए कि वे क़ुर्आन पर प्राथमिक हैं और यदि उनके किस्से क़ुर्आन के स्पष्ट वर्णनों से विरोधी पड़ें तो ऐसा न करें कि हदीसों के क़िस्सों को क़ुर्आन पर प्राथमिकता दी जाए और क़ुर्आन को छोड़ दिया जाए और न हदीसों को मौलवी अब्दुल्लाह चकड़ालवी की आस्था की तरह केवल निरर्थक और झूठा ठहराया जाए बल्कि चाहिए कि क़ुर्आन और सुन्नत को हदीसों पर क़ाज़ी (जज) समझा जाए। और जो हदीस क़ुर्आन और सुन्नत की विरोधी न हो। उसे सहर्ष स्वीकार किया जाए यही सिराते मुस्तकीम है। मुबारक वे जो इसके पाबन्द होते हैं। बहुत ही मुर्ख और दुर्भाग्यशाली★ वह

★**नोट -** आज रात मुझे स्वप्न में दिखाया गया कि एक वृक्ष फलदार, बहुत

व्यक्ति है जो इस नियम को दृष्टिगत न रखते हुए हदीसों का इन्कार करता है।

हमारी जमाअत का यह कर्तव्य होना चाहिए कि यदि कोई हदीस क़ुर्आन और सुन्नत की विरोधी न हो तो चाहे कैसी ही निम्न स्तर की हदीस हो उस पर वे अमल करें और मनुष्य की बनाई हुई फिक: पर उसको प्राथमिकता दें। और यदि हदीस में कोई मसअला न मिले और न सुन्नत में और न क़ुर्आन में मिल सके तो इस स्थिति मे हनफी फ़िक़: पर अमल कर लें। क्योंकि उस फ़िक़: की कसरत ख़ुदा के इरादों पर संकेत करती है और यदि कुछ वर्तमान परिवर्तनों के कारण हनफी फ़िक़: कोई सही फ़त्वा न दे सके तो इस स्थिति में

शेष नोट - उत्तम सुन्दर तथा फलों से लदा हुआ है और कुछ जमाअत कष्ट और ज़ोर से एक बूटी को उस पर चढ़ाना चाहती है जिसकी जड़ नहीं बल्कि चढ़ा रखी है। वह बूटी अफ्तीमून के समान है,और जैसे-जैसे वह बूटी उस वृक्ष पर चढ़ती है उसके फलों को हानि पहुंचाती है और उत्तम वृक्ष में एक कड़वाहट और कुरूपता पैदा हो रही है और उस वृक्ष से जिन फलों की आशा की जाती है उनके नष्ट होने की बहुत आशंका है बल्कि कुछ नष्ट हो चुकी हैं। तब मेरा दिल इस बात को देखकर घबराया और पिघल गया तथा मैंने एक व्यक्ति को जो एक नेक और पवित्र इन्सान के रूप में खड़ा था पूछा कि यह वृक्ष क्या है तथा यह बूटी क्या है जिसने ऐसे उत्तम वृक्ष को शिकंजे में दबा रखा है। तब उसने उत्तर में मुझे देखकर यह कहा कि यह वृक्ष क़ुर्आन ख़ुदा का कलाम है और यह बूटी वे हदीसें तथा कथन इत्यादि हैं जो क़ुर्आन के विरोधी हैं या विरोधी ठहराई जाती हैं और उनकी प्रचुरता ने इस वृक्ष को दबा लिया है और उसको हानि पहुंचा रही हैं। तब मेरी आंख खुल गई। अत: मैं आंख खुलते ही उस समय जो रात है इस निबंध को लिख रहा हूं और अब समाप्त करता हूं और यह शनिवार की रात है और बारह बजे के 20 मिनट कम दो बजे का समय है। فَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذَالِکَ म.ग़.अ.

इस सिलसिले के उलेमा अपने ख़ुदा द्वारा दिए गए विवेचन से काम लें, परन्तु होशियार रहें कि मौलवी अब्दुल्लाह चकड़ालवी की तरह अकारण हदीसों से इन्कार न करें। हां जहां क़ुर्आन और सुन्नत से किसी हदीस को विरोधी पाएं तो उस हदीस को छोड़ दें। याद रखें कि हमारी जमाअत अब्दुल्लाह की अपेक्षा अहले हदीस से बहुत क़रीब है। और अब्दुल्लाह चकड़ालवी के निर्रथक विचारों से हमें कुछ भी अनुकूलता नहीं। प्रत्येक जो हमारी जमाअत में है उसे यही चाहिए कि वह अब्दुल्लाह चकड़ालवी की आस्थाओं से जो वह हदीसों के संबंध में रखता है हार्दिक तौर पर नफ़रत करने वाला और विमुख हो तथा ऐसे लोगों की संगत से यथाशक्ति नफ़रत रखें कि ये दूसरे विरोधियों की अपेक्षा अधिक बरवाद हो चुका फिर्क: है★ और चाहिए कि न वे मौलवी मुहम्मद हुसैन की गिरोह की तरह हदीस के बारे में अधिकता की ओर झुकें, और न मुहम्मद अब्दुल्लाह की तरह न्यूनता की ओर झुकें, बल्कि इस बारे में मध्यवर्ती मार्ग अपना धर्म समझ लें। अर्थात न वे ऐसे तौर से हदीसों को पूर्णतया अपना क़िब्ल: और काबा ठहराएं जिस से क़ुर्आन छोड़ा और अलग किए हुए के समान हो जाएं। और न ऐसे तौर से उन हदीसों को निलंबित और निरर्थक ठहरा दें जिन

★ उसी रात में 3 बज कर 2 मिनट पर एक इल्हाम हुआ और वह यह है -

مَنْ اَعرض عن ذکری نبتلیه بذریّة فاسقةٍ ملحدةٍ یمیلون اِلی الدّنیا ولا یعبدو ننی شیئًا

जो व्यक्ति क़ुर्आन से अलग होगा हम उसको एक बुरी सन्तान के साथ लिप्त करेंगे जिनका जीवन नास्तिकों जैसा होगा। वे दुनिया पर गिरेंगे और मेरी इबादत से उन को कुछ भी हिस्सा न होगा अर्थात् ऐसी सन्तान का अंजाम यह होगा तथा तौब: और संयम प्राप्त नहीं होगा। (इसी से)

से नबवी हदीसें पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएं। ऐसा ही चाहिए कि न तो आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खतम-ए-नुबुव्वत का इन्कार करें और न खतम-ए- नुबुव्वत के यह अर्थ समझ लें जिस से इस उम्मत पर ख़ुदा के वार्तालाप और सम्बोधनों का दरवाजा बन्द हो जाए। और स्मरण रहे कि हमारा यह ईमान है कि अन्तिम किताब और अन्तिम शरीअत क़ुर्आन है तथा इसके पश्चात क़यामत तक इन अर्थों से कोई नबी नहीं है जो शरीअत वाला हो या आंहज़रत सल्लल्लाहु अलौहि वसल्लम के अनुकरण के माध्यम के बिना वह्यी पा सकता हो बल्कि क़यामत तक यह दरवाजा बन्द है और नबवी अनुकरण से वह्यी की नेमत प्राप्त करने के लिए क़यामत तक दरवाज़े खुले हैं। वह वह्यी जो अनुकरण का परिणाम है कभी बन्द नहीं होगी परन्तु शरीअत वाली नुबुव्वत या स्थायी नुबुव्वत समाप्त हो चुकी है।

وَلا سبيل اليهاالٰى يوم القيٰمه و من قال انى لست من امة محمد صلى الله عليه وسلم و ادعى انه نبى صاحب الشريعة او من دون الشريعة و ليس من الامّة فمثله كمثل رجل غمره السيلُ المنهمر فالقاه وراءه ولم يغادر حتّٰى مات

इसका विवरण यह है कि ख़ुदा तआला ने जिस जगह यह वादा फ़रमाया है कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुलअंबिया है उस जगह यह इशारा भी फ़रमाया है कि आंजनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रूहानियत के अनुसार उन सुलहा के पक्ष में पिता के आदेश में हैं जिनको अनुकरण के द्वारा नफ़्सों को पूर्ण किया जाता है और ख़ुदा की वह्यी तथा उनको वार्तालाप का सम्मान

प्रदान किया जाता है जैसा कि वह महा प्रतापी ख़ुदा पवित्र क़ुर्आन में फरमाता है-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ (अलअहज़ाब:41)

अर्थात् आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पुरुषों में से किसी का बाप नहीं है परन्तु वह ख़ुदा का रसूल है और ख़ातमुलअंबिया है। अब स्पष्ट है कि لٰكِنْ का शब्द अरबी भाषा में समझाने के लिए आता है अर्थात् जो बात रह गई है उसके निवारण के लिए। तो इस आयत के हिस्से में जिस बात को रह चुकी बताया गया था अर्थात जिसका आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्तित्व से इन्कार किया गया था वह शारीरिक तौर से किसी पुरुष का बाप होना था जिसका لٰكِنْ के शब्द के साथ ऐसी समाप्ति हो चुकी बात का इस प्रकार निवारण किया गया कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुलअंबिया ठहराया गया जिसके मायने यह हैं कि आप के बाद सीधे तौर पर नुबुव्वत के फ़ैज़ (वरदान) समाप्त हो गए और अब नुबुव्वत का कमाल (खूबी) उसी व्यक्ति को मिलेगा जो अपने कर्मों पर आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज्ञापालन एवं अनुकरण की मुहर रखता होगा । अतः इस आयत का एक प्रकार से आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस होगा। अतः इस आयत का एक प्रकार से आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाप होने का इन्कार किया गया और दूसरे प्रकार से बाप होने को सिद्ध भी किया गया ताकि वह आरोप जिसका वर्णन आयत

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (अलकौसर - 4) में है दूर किया जाए। इस आयत का निष्कर्ष यह हुआ कि नुबुव्वत यद्यपि बिना शरीअत के हो इस प्रकार से तो बन्द है कि कोई व्यक्ति सीधे तौर पर नुबुव्वत का पद प्राप्त कर सके किन्तु इस प्रकार से बन्द नहीं कि वह नुबुव्वत मुहम्मदी नुबुव्वत के दीपक से अर्जित किया हुआ और फैज़ प्राप्त किया हुआ हो। अर्थात् ऐसा साहिबे कमाल एक पहलू से तो उम्मती हो और दूसरे पहलू से मुहम्मदी प्रकाशों को अर्जित करने के कारण नुबुव्वत के कमालात (खूबियां) अपने अन्दर रखता हो और यदि इस प्रकार से भी उम्मत के तैयार लोगों को पूर्ण करने का इन्कार किया जाए तो इस से नऊज़ुबिल्लाह आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों प्रकार से अबतर ठहरते हैं। न शारिरिक तौर पर कोई पुत्र, न रूहानी तौर पर कोई पुत्र, और आरोपक सच्चा ठहरता है जो आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अबतर रखता है ।

अब जबकि यह बात तय हो चुकी कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद स्थायी नुबुव्वत जो सीधे तौर पर मिलती है।★ उस का दरवाजा क़यामत तक बन्द है और जब तक कोई

★ कुछ अधूरे मुल्ला मुझ पर ऐतराज़ करके कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह ख़ुशख़बरी दे रखी है कि तुम में तीस दज्जाल आंएगे और उनमे से प्रत्येक नुबुव्वत का दावा करेगा। इसका उत्तर यही है कि हे मूर्खों। अभागों।! क्या तुम्हारे भाग्य में तीस दज्जाल ही लिखे हुए थे। चौदहवीं सदी का पांचवां भाग गुज़रने पर है और खिलाफत के चन्द्रमा ने अपने कमाल की चौदह मंज़िलें पूरी कर लीं जिसकी ओर आयत وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ (यासीन:40) भी संकेत करती है। और दुनिया समाप्त होने लगी परन्तु तुम लोगो के दज्जाल अभी समाप्त होने में नहीं आते। शायद तुम्हारी मौत तक तुम्हारे साथ रहेंगे। हे मुर्खों। वह

उम्मती होने की वास्तविकता अपने अन्दर नहीं रखता और हज़रत मुहम्मद की दासता की ओर सम्बद्ध नहीं तब तक वह किसी प्रकार से आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद प्रकट नहीं हो सकता। तो इस स्थिति में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आकाश से उतारना और फिर उनके बारे में यह कहना कि वह उम्मती हैं तथा उनकी नुबुव्वत आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदी नुबुव्वत के दीपक से अर्जित और फ़ैज प्राप्त है कितनी बनावट और आडम्बर है। जो व्यक्ति पहले ही नबी ठहर चुका है उसके बारे में यह कहना क्योंकर सही ठहरेगा कि उसकी नुबुव्वत आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुबुव्वत के दीपक से लाभान्वित है और यदि उसकी नुबुव्वत मुहम्मदी नुबुव्वत के दीपक से लाभान्वित नहीं है तो फिर वह किन अर्थों से मुहम्मदी कहलाएगा स्पष्ट है कि उम्मत के मायने किसी पर चीरतार्थ नहीं हो सकते जब तक उसकी प्रत्येक खूबी अनुकरणीय नबी के माध्यम से उसे प्राप्त न हो। फिर जो व्यक्ति नबी कहलाने की इतनी बड़ी खूबी स्वयं रखता है वह उम्मती क्योंकर हुआ,बल्कि वह तो स्थाई तौर पर नबी होगा,जिसके लिए आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़दम रखने का स्थान नहीं। यदि कहो कि उसकी पहली नुबुव्वत जो सीधे तौर पर थी दूर की जाएगी और अब नए सिरे से नबवी अनुकरण के साथ उसको नई नुबुव्वत मिलेगी

दज्जाल जो शैतान कहलाता है वह स्वयं तुम्हारे अंदर है इसलिए तुम समय को नहीं पहचानते, अकाशीय निशानों को नहीं देखते। परन्तु तुम पर क्या अफ़सोस वह जो मेरी तरह मूसा के बाद चौदहवीं सदी में प्रकट हुआ था,उसका नाम भी दुष्ट यहूदियों ने दज्जाल ही रखा था فالقلوب تشابهت اللّٰهُمَّ ارحم (इसी से)

जैसा कि आयत का आशय है। तो इस स्थिति में यही उम्मत जो ख़ैरूलउमम, कहलाती है अधिकार रखती है कि उनमें से कोई सदस्य नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुकरण के सौजन्य से इस संभाव्य पद को पहुंच जाए और हज़रत ईसा को आकाश से उतारने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि यदि उम्मती को मुहम्मदी प्रकाशों के द्वारा नुबुव्वत के कमालात (खूबियां) मिल सकते हैं तो इस स्थिति में किसी को आकाश से उतारना असल हक़दार का हक़ नष्ट करना है और कौन बाधक है जो किसी उम्मती को लाभ पहुंचाया जाए ताकि मुहम्मदी लाभ(फ़ैज़) का नमूना किसी पर संदिग्ध रहे। क्योंकि नबी को नबी बनाना क्या मायने रखता है। उदाहरणतया एक व्यक्ति सोना बनाने का दावा रखता है और सोने पर ही एक बूटी डाल कर कहता है कि लो सोना हो गया इससे क्या यह सिद्ध हो सकता है कि वह कीमियागर है। तो आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वरदानों की खूबी तो इसमें थी कि उम्मती को वह श्रेणी अनुकरण के अभ्यास से पैदा हो जाए, अन्यथा एक नबी को जो पहले ही नबी ठहर चुका है उम्मती ठहराना और फिर यह कल्पना कर लेना कि उसके जो नुबुव्वत का पद प्राप्त है वह उम्मती होने के कारण है न कि स्वयं। यह कितना असफल झूठ है। बल्कि ये दोनों वास्तविकताएं परस्पर विरोधी हैं क्योंकि हज़रत मसीह की नुबुव्वत की वास्तविकता यह है कि वह सीधे तौर पर आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुकरण के बिना उनको प्राप्त है । और फिर यदि हज़रत ईसा को उम्मती बनाया जाए जैसा कि हदीस امامکم منکم से प्रकट है। तो इसके यह मायने होंगे कि उनका प्रत्येक कमाल नुबुव्वत-ए-

मुहम्मदिया से लाभान्वित है और अभी हम मान चुके थे कि उनकी नुबुव्वत का कमाल नुबुव्वत-ए-मुहम्मदिया के दीपक से लाभान्वित नहीं है और यही दो परस्पर विरोधी बातों का एक जगह जमा करना है जो स्पष्ट तौर पर ग़लत है। और यदि कहो कि हज़रत ईसा उम्मती तो कहलाएंगे परन्तु नुबुव्वत-ए-मुहम्मदिया से उनको कुछ लाभ न होगा। तो इस स्थिति में उम्मती होने की वास्तविकता उनके अस्तित्व में से गायब होगी। क्योंकि अभी हम वर्णन कर आए हैं कि उम्मती होने के इसके अतिरिक्त अन्य कोई मायने नहीं कि अपनी समस्त खूबी अनुकरण के द्वारा रखता हो,जैसा कि पवुत्र क़ुर्आन में जगह-जगह इसकी व्याख्या मौजूद है और जबकि एक उम्मती के लिए यह दरवाज़ा खुला है कि अपने अनुकरणीय नबी से यह फ़ैज़ (लाभ) प्राप्त करे तो फिर एक बनावट का मार्ग ग्रहण करना और परस्पर दो विरोधी बातों का एक साथ जमा करना वैध रखना कितनी मूर्खता है और वह व्यक्ति उम्मती कैसे कहला सकता है जिसको कोई कमाल (खुबी) अनुकरण द्वारा प्राप्त नहीं। इस स्थान पर कुछ मूर्खों का यह आरोप भी दूर हो जाता है कि खुदा की वह्यी के दावे को यह बात अनिवार्य है कि वह वह्यी अपनी भाषा में हो न कि अरबी में। क्योंकि अपनी मातृभाषा उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो स्थाई तौर पर जो मुहम्मदी नुबुव्वत के दीपक से लाभान्वित हुए बिना नुबुव्वत का दावा करता है, परन्तु जो व्यक्ति एक उम्मती होने की हैसियत से नुबुव्वत-ए-मुहम्मदिया के फ़ैज़ से नुबुव्वत के प्रकाशों को अर्जित करता है वह ख़ुदा के वार्तालाप में अपने अनुकरणीय की भाषा में वह्यी पाता है ताकि अनुकरणकर्ता और अनुकरणीय में एक लक्षण हो जो उनके

पारस्परिक संबंध को सिद्ध करे। अफसोस, हज़रत ईसा पर ये लोग हर प्रकार से ज़ुल्म करते हैं। प्रथम-लानत के आरोप का फैसला किए बिना उनके शरीर को आकाश पर चढ़ाते हैं जिससे यहूदियों का मूल आरोप उनके सर पर क़ायम रहता है। द्वितीय- कहतें है कि क़ुर्आन में उनकी मृत्यु का कहीं वर्णन नहीं, जैसे उनकी ख़ुदाई के लिए एक कारण पैदा करते है। तृतीय- असफल होने की स्थिति में उनको आकाश की ओर खींचते हैं। जिस नबी के अभी बारह हवारी भी पृथ्वी पर मौजूद नहीं और प्रचार का कार्य अपूर्ण है उसको आकाश की ओर खींचना उसके लिए एक नर्क है क्योंकि उसकी रूह प्रचार को पूर्ण करना चाहती है और उसकी इच्छा के विरुद्ध आकाश पर बिठाया जाता है। मैं अपने बारे में देखता हूं कि अपने कार्य को पूरा किए बिना यदि मैं जीवित आकाश पर उठाया जाऊं और यद्यपि सातवें आकाश तक पहुंचाया जाऊं तो मैं इसमें प्रसन्न नहीं हूं। क्योंकि जब मेरा कार्य अपूर्ण रहा तो मुझे क्या प्रसन्नता हो सकती है। इसी प्रकार उनको भी आकाश पर जाने से कोई प्रसन्नता नहीं। गुप्त तौर पर एक हिज़रत थी जिसको मुर्खों ने आकाश ठहरा दिया। ख़ुदा हिदायत करे।

والسّلام علٰی من اتبع الھدیٰ

विज्ञापनदाता मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी

27 नवम्बर 1902 ई०